पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2019 ई0 (श्रावण 05, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	387–392	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	907–920	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	437–443	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 911/VIII/19–35(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–2005/VIII/35(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) वेतन बैण्ड–3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 मंयक कश्मीरा को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 मंयक कश्मीरा द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश सं0 2005/VIII/35(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 मंयक कश्मीरा की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 912/VIII/19–13(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–1081/VIII/13(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी j kT; chek ; ks uk d sv Ur xZ fpfd R kf/kd kj h ¼y ks Hkd ½osu cSM&3 l kn'; osueku ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 रेखा रावत को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 रेखा रावत द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश सं0 1081/VIII/13(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 रेखा रावत की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 913/VIII/19–36(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–2006/VIII/36(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) वेतन बैण्ड–3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 अताउर रहमान को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 अताउर रहमान द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश सं0 2006/VIII/36(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 अताउर रहमान की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 914/VIII/19–29(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–1099/VIII/29(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) वेतन बैण्ड–3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 पवन कार्की को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 पवन कार्की द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश सं0 1099/VIII/29(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 पवन कार्की की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 915/VIII/19–37(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–2007/VIII/37(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) वेतन बैण्ड–3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 कंचन चन्द ठाकुर को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 कंचन चन्द ठाकुर द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश सं0 2007/VIII/37(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 कंचन चन्द ठाकुर की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 916/VIII/19–30(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–2000/VIII/30(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) वेतन बैण्ड–3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 प्रियंका टम्टा को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 प्रियंका टम्टा द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश 2000/VIII/30(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 प्रियंका टम्टा की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 917/VIII/19–14(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–1087/VIII/14(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) वेतन बैण्ड–3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 सरफराज हुसैन को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 सरफराज हुसैन द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश सं0 1087/VIII/14(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 सरफराज हुसैन की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 918/VIII/19–25(ई0एस0आई0)/2018–उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना/नियुक्ति आदेश संख्या–1095/VIII/25(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) वेतन बैण्ड–3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/–(सातवें वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) के पद पर डॉ0 नवनीत कुमार को अन्य शर्तों के साथ–साथ 01 माह के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा उक्त चिकित्सक से यह भी अपेक्षित था कि वह निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

2. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–07/कराबीयो/2019–20/1456, दिनांक 14 जून, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार नवनियुक्त चिकित्साधिकारी डॉ0 नवनीत कुमार द्वारा आतिथि तक योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना/नियुक्ति आदेश सं0 1095/VIII/25(ई0एस0आई0)/2018, दिनांक 21.08.2018 के क्रम में निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष योगदान प्रस्तुत न करने/कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ0 नवनीत कुमार की नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 919/VIII/19–02(ESI)/2006–निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1293/2019–20, दिनांक 11.06.2019 के साथ संलग्न डॉ0 आस्था भण्डारी, चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, कारगी, देहरादून के आवेदन–पत्र दिनांक 02.05.2019 पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003 के नियम–5 के अधीन चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त डॉ0 आस्था भण्डारी का त्याग–पत्र दिनांक 02.05.2019, जैसा कि उनके आवेदन–पत्र में अंकित है, से स्वीकृत करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/300–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2019 ई0 (श्रावण 05, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक

अधिसूचना

22 जनवरी, 2019 ई0

उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश) विनियम, 2019

सं0 एफ–9(30) / आरजी / यूईआरसी / 2019 / 1507–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा 2 (आर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के साथ पठित, तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर, तथा पूर्व प्रकाशन के उपरान्त विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (सदस्यों की नियुक्ति तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश) विनियम, 2019' बनाता है:

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, उपयुक्तता, प्रारम्भ व निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश) विनियम, 2019 होगा।

(यह विनियम सरकारी गजट दिनांक 02.02.2019 में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

(2) ये विनियम पूरे उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम उत्तराखण्ड के क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी (यों) पर उनके सम्बन्धित अनुज्ञप्ति–क्षेत्र में लागू होंगे।

(4) ये विनियम पूर्व विनियम 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतू सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश) विनियम, 2007' तथा उसमें बाद में हुए संशोधनों को निरस्त करते हुए उनका स्थान लेंगे तथा सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(5) ऐसे शब्दों व वाक्यांश का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त तो हुए हैं, पर उनको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में उनकी व्याख्या की गई है, तो यहाँ भी उन शब्दों व वाक्यांशों का वही अर्थ माना जाएगा।

परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो :

(a) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम, 2003;

(b) 'आयोग' से अभिप्राय है, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग;

(c) 'शिकायतकर्ता' में शामिल होंगे–

(i) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (15) के अन्तर्गत परिभाषित उपभोक्ता;

(ii) नए संयोजनों के लिए आवेदनकर्ता;

(iii) उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका (के) विधिक उत्तराधिकारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि;

(iv) कोई अधिकृत प्रतिनिधि;

(v) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा कुछ समय के लिए प्रभावी किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कोई उपभोक्ता संघ; या

(vi) उपभोक्ताओं का कोई गैर पंजीकृत संघ, जिसमें समान हित वाले उपभोक्ता हों।

(d) 'शिकायत' से अभिप्राय है, फोरम के समक्ष विद्युत आपूर्ति, नए संयोजन या वितरण अनुज्ञप्तिधारी (यों) द्वारा दी गई सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए प्रस्तुत किया गया पत्र अथवा आवेदन। इनमें शामिल हैं लोड/माँग में परिवर्तन, मीटर सम्बन्धी मामले, बिल से सम्बन्धित मुद्दे या प्रकरण, जिनमें अनुज्ञप्तिधारी (यों) ने आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया हो, अथवा कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि ली हो, अथवा उपभोक्ता को उविनिआ (स्टैण्डर्ड ऑफ परफॉरमेन्स) विनियमों के अन्तर्गत परिभाषित क्षतिपूर्ति प्रदान करने में असफल रहा हो/रहे हों।

(e) 'वितरण अनुज्ञप्तिधारी' से अभिप्राय है, सम्बन्धित आपूर्ति–क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत–आपूर्ति की व्यवस्था का संचालन व रखरखाव करने लिए अधिकृत अनुज्ञप्तिधारी।

(f) 'फोरम' से अभिप्राय है, इन विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (5) के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित किया जाने वाला फोरम।

(g) "अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों के प्रबन्धन के लिए और/या अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी कार्यकलाप के सम्पादन के लिए नियुक्त किया गया हो, जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे वेतन या मेहनताना या मानदेय या सिटिंग शुल्क या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक दिया जाता हो।

अध्याय 2

फोरम का गठन व कार्य

2.1 फोरम का गठन

(1) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक या अधिक जैसा भी आयोग निर्धारित करें, मंच की स्थापना करेगा।

(2) प्रत्येक फोरम में तीन सदस्य होंगे, जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग की पूर्व स्वीकृति से समाचार पत्रों तथा वेबसाइट में उपयुक्त विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर आयोग द्वारा फोरम के गठन और अस्तित्व के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के विद्युत बिल के साथ–साथ अन्य माध्यमों से भी प्रचार करेगा। फोरम के सदस्यों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा फोन नम्बर, फोरम के कार्यालय का पता, ई–मेल, फैक्स व फोन नम्बर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सभी कार्यालयों पर प्रदर्शित किए जाएँगे तथा, उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले बिलों पर दर्शित कर प्रचारित किए जाने के साथ–साथ अन्य माध्यमों से भी प्रचारित किए जाएँगे।

(4) विद्युत अनुज्ञाप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में फोरम की बैठकें विद्युत अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मुख्य कार्यालय तथा, प्रत्येक जिले में ऐसे किसी अन्य स्थान पर होंगी, जैसा कि फोरम द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए, अथवा प्राप्त शिकायतों की संख्या, शिकायतें प्राप्त होने के स्थान तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य के मुख्य स्थान व अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा भी समय–समय पर इस सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश दिए जा सकते हैं।

2.2 फोरम के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ

(1) फोरम के न्यायिक सदस्य ऐसे सेवा निवष्त जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवष्त न्यायिक अधिकारी होंगे, जिन्हें विधिक/न्यायिक कार्य का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव हो, अथवा ऐसे सेवा निवृत्त लोकसेवक होंगे, जो कम से कम जिला कलेक्टर के पद से सेवा निवृत्त हुए हों।

(2) तकनीकी सदस्य किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का सेवा निवृत्त अधिकारी होगा, जो अधीक्षण अभियन्ता से नीचे के पद का न हो व इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी हो तथा जिसके पास विद्युत वितरण से सम्बन्धित मामलों का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो, अथवा किसी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग का सेवा निवृत्त प्रोफेसर हो, अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधीन कार्यरत ऐसा अधिकारी जो अधीक्षण अभियन्ता के पद से नीचे का न हो तथा उस क्षेत्र में कार्यरत हो, जो उस फोरम के अन्तर्गत आता है, जिसके लिए सदस्य की आवश्यकता है।

(3) उपभोक्ता सदस्य आयोग द्वारा नामित किया जाएगा एवं वह ऐसा गणमान्य व विख्यात व्यक्ति होगा, जिसने विद्युत उपभोक्ताओं से सम्बन्धित जानकारी को निकट से देखा हो तथा इनका उसे पर्याप्त अनुभव हो।

(4) कोई व्यक्ति, जिसने पूर्व में पूर्णकालिक सदस्य के रुप में फोरम में कार्य किया हो तथा अपना कार्यकाल पूर्ण किया हो तो वह उसी वितरण लाइसेन्सी के अन्तर्गत स्थापित उसी फोरम में या दूसरे फोरम में सदस्य के लिए अपना कार्यकाल पूरा होने की तिथि से दो वर्ष के अन्तराल के उपरान्त ही आवेदन के लिए अर्ह होगा।

2.3 गणपूर्ति (कोरम)

(1) फोरम की बैठकों का कोरम इन विनियमों के विनियम 2.2 के अन्तर्गत नियुक्त किए गए किन्हीं दो सदस्यों को होगा।

(2) आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 2.2 में दी गई अर्हताओं व संरचना के अनुसार फोरम के किसी सदस्य को किसी अन्य व्यक्ति से स्थानापन्न करने का निर्देश दे सकता है, यदि आयोग की दृष्टि में उपभोक्ताओं की शिकायतों के उपयुक्त व प्रभावी निवारण के लिए ऐसा प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक हो।

(3) यदि किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने अथवा किसी अन्य कारण से जिससे फोरम के निष्प्रभावी होने की सम्भावना हो कोरम पूरा न हो पाए तो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किए जाने पर, आयोग उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए ऐसे फोरम का कार्यभार निकटवर्ती अधिकार–क्षेत्र वाले फोरम को स्थानान्तरित कर सकता है।

2.4 कार्यकाल तथा सेवा–शर्तें

(1) फोरम के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। सदस्य की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, तथा वे 68 वर्ष की आयु तक कार्यरत रह सकेंगे।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फोरम में सदस्य का कोई पद 30 दिन से अधिक की अवधि तक रिक्त न रहे।

(3) इन विनियमों के विनियम 2.2 के अन्तर्गत नियुक्त सभी सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन, सिटिंग शुल्क, मानदेय और/या अन्य भत्ते (जिन्हें संयुक्त रूप से 'पारिश्रमिक' कहा जाएगा) तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें एक समान होंगी, तथा वही होंगी, जैसा आयोग समय–समय पर निर्धारित करेगा।

(4) न्यायिक व उपभोक्ता सदस्य पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएँगे, तथा न्यायिक सदस्य फोरम के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(5) इन विनियमों के विनियम 2.4 के उप विनियम (1) से (4) तक किए गए पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद फोरम में ऐसे सदस्य के लिए, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधीन कार्यरत है, वही नियम व सेवा–शर्तें लागू होंगी, जो उस पर अनुज्ञप्तिधारी की सेवा में रहते हुए लागू होती हैं।

2.5 सदस्य की अयोग्यता/निष्कासन

(1) कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और/या सदस्य बने रहने का अधिकारी नहीं होगा, यदि वह निम्न कारणों से अयोग्य हो गया हो :

(a) यदि वह दीवालिया घोषित हो गया हो;

(b) यदि वह किसी नैतिक दुराचरण का दोषी पाया गया हो;

(c) शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो;

(d) उसके वित्तीय या अन्य हितों के कारण सदस्य के रूप में उसके कार्य–कलापों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता हो;

(e) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो कि उनका पद पर बने रहना जनहित के लिए अहितकर हो;

(f) दुर्व्यवहार का दोषी हो; या

(g) जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक अधिकारी हेतु आपेक्षित आचरण के नियमों के उल्लंघन का दोषी हो।

(2) यदि किसी सदस्य में इन विनियमों के विनियम 2.5 के उप विनियम (1) में दी गई कोई अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है या पाई जाती है तो ऐसे मौजूदा सदस्य को अपने पद से तत्काल हटाया जा सकेगा।

परन्तु, कोई पूर्णकालिक सदस्य इन विनियमों के विनियम 2.5 के उप विनियम (1) में निर्दिष्ट आधारों पर अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा कराई गई जाँच से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता कि उस सदस्य को इस आधार या उन आधारों पर पद से हटा दिया जाना चाहिए।

परन्तु सदस्य को हटाए जाने के निर्णय को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

(3) यदि आयोग किसी फोरम के किसी सदस्य/सभी सदस्यों के कार्य से संतुष्ट नहीं है, और उसकी धारणा है कि यह निष्कासन उपभोक्ताओं के हित के लिए तथा उनकी शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए आवश्यक है, तो आयोग ऐसे सदस्य/सदस्यों को एक अवसर प्रदान करने के उपरान्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी को फोरम के उस सदस्य/उन सदस्यों को हटाने के लिए निर्देश दे सकता है।

2.6 ढाँचागत सुविधाएँ

(1) फोरम के कुशलतापूर्वक कार्य–संचालन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा –

(a) कार्यालय का स्थान, जिसमें सदस्यों के लिए तीन कक्ष (प्रत्येक सदस्य के लिए एक कक्ष), एक सुनवाई हॉल/कक्ष, एक रिकॉर्ड कक्ष तथा कार्यालय के कर्मचारियों के लिए एक सामान्य (कॉमन) कक्ष होगा।

(b) सदस्यों/कार्यालय के कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ।

परन्तु, फोरम की स्थापना और उसके संचालन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से व्यय की गई पूरी लागत को, जहाँ तक सुसंगत व न्यायोचित हो, आयोग के विनियमों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ के निर्धारण में स्वीकार कर लिया जाएगा।

अध्याय 3

फोरम का अधिकार–क्षेत्र व कार्यवाही

3.1 फोरम का अधिकार–क्षेत्र

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई सेवाओं के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल की गई शिकायतों पर विचार करना तथा उन पर आवश्यक आदेश व निर्देश देना फोरम के अधिकार–क्षेत्र में होगा।

(2) फोरम केवल उन्हीं शिकायतों पर विचार करेगा, जो इन विनियमों के विनियम 1.2 के उप–विनियम (1) (घ) के अन्तर्गत आती हैं।

(3) फोरम उन शिकायतों पर विचार नहीं करेगा, जो उन्हीं विषयों से सम्बन्धित किसी न्यायालय, प्राधिकरण या किसी अन्य फोरम के समक्ष विचाराधीन हैं, अथवा जिन पर किसी सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या फोरम ने पहले ही डिक्री, निर्णय या अन्तिम आदेश दे दिया हो।

(4) फोरम अधिनियम के खण्ड 126, 127, 135 से 140 व 161 के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों पर तथा बकाया भुगतान की वसूली के उन मामलों पर विचार नहीं करेगा, जिनमें बिल की राशि पर विवाद नहीं है।

(5) फोरम विद्युत लाइनों/खम्भों/उपकरणों को हटाने से सम्बन्धित किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

(6) इन विनियमों के विनियम 3.1 के उप विनियम (3), (4) व (5) के अन्तर्गत फोरम द्वारा किसी भी स्तर पर तब तक कोई भी शिकायत अस्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का एक अवसर न दे दिया जाए।

3.2 फोरम में शिकायतें

(1) फोरम उपभोक्ताओं की उन षिकायतों को स्वीकार करेगा, जो उपभोक्ताओं द्वारा लिखित रूप में फोरम में दाखिल की गई हों या वहाँ अग्रसारित की गई हों। फोरम शिकायतें दाखिल करने व उन पर विचार करने के लिए किसी विशेष प्रपत्र पर जोर नहीं देगा, न ही कोई ऐसा प्रपत्र निर्धारित करेगा।

(2) फोरम का कार्यालय शिकायतकर्ता को शिकायत की पावती की रसीद देगा, जिस पर स्पष्ट रुप से शिकायत प्राप्त करने की तिथि अंकित हो तथा फोरम की मुहर लगी हो। शिकायतकर्ता को कोई भी शिकायत बिना पावती की रसीद दिए लौटाई नहीं जाएगी, तथा विधिनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा।

(3) फोरम समय–समय पर फोरम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों का वास्तविक तथा सही रिकॉर्ड रखेगा, तथा इस रिकॉर्ड को समय–समय पर आयोग द्वारा माँगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

(4) जब तक फोरम अनुमति न दे, किसी भी सुनवाई में वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधित्व कोई पेशेवर अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी नहीं करेगा। परन्तु यदि उपभोक्ता किसी अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहे, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी यह अधिकार प्रदान किया जाएगा।

3.3 फोरम की शिकायतों को निपटाने की प्रक्रिया

(1) फोरम प्राप्त शिकायतों पर त्वरित गति से निर्णय लेगा तथा शिकायत प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 60 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता को अपने निर्णय से अवगत कराएगा। फोरम अपने निर्णय के समर्थन में कारण भी बताएगा।

(2) यदि मामले की सुनवाई कर रहा कोई सदस्य अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह अपनी असहमति को कारण सहित अंकित करवा सकता है, परन्तु मामले की सुनवाई कर रहे सदस्यों का बहुमत से लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

(3) फोरम के सभी निर्णय पूरी तरह से अधिनियम, नियमों व विनियमों के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों तथा समय–समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों के अनुरूप ही होंगे।

(4) यदि फोरम इस बात से संतुष्ट हो कि शिकायत में लगाया गया कोई आरोप सही है, तो वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी को एक आदेश जारी करेगा, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक चीजों को समयबद्ध तरीके से करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, यथा–

(a) आवेदक ने जिस अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है, वह उसे वापस करना;

(b) आवेदक को उस धनराशि का भुगतान करना, जो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में दी जानी है। पर शर्त यह भी है कि किसी भी स्थिति में कोई उपभोक्ता अप्रत्यक्ष, घटनाजनित, आकस्मिक अथवा दण्डस्वरूप हुए नुकसान, लाभ या अवसर की हानि, चाहे वह अनुबन्ध में उत्पन्न हो, अपकृत्य में, वारण्टी, कड़े दायित्व अथवा किसी कानूनी सिद्धान्त के कारण हो, से होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा;

(c) प्रश्नगत शिकायत के कारण को दूर करना;

(d) आदेश का अनुपालन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर करना;

(e) इन विनियमों में दी गई समय–सीमा के अन्दर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना;

(f) पीड़ित व्यक्ति को अवगत कराना कि आदेश के अनुपालन के लिए उसे क्या करना अपेक्षित है तथा कितने समय के अन्दर;

(g) कोई अन्य आदेश, जो मामले की परिस्थितियों व तथ्यों को देखते हुए उपयुक्त समझा जाए।

(5) शिकायतकर्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फोरम के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाएँगे, उन पर विचार करने के उपरान्त फोरम सकारण आदेश पारित करेगा। इस निर्णय के समर्थन में वह कारण भी बताएगा। फोरम द्वारा पारित किए जाने वाले प्रत्येक आदेश पर मामले का निर्णय करने वाले सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(6) फोरम द्वारा पारित किए गए सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ आदेश के तीन दिन के अन्दर सम्बन्धित पक्षों को भेज दी जाएँगी।

(7) पीड़ित व्यक्ति तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए फोरम के आदेश को मानना अनिवार्य होगा।

(8) फोरम वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता, जैसी भी स्थिति हो, के लिए अनुपालन की अवधि का स्पष्ट उल्लेख करेगा। सामान्यतः यह अवधि 30 दिन की होनी चाहिए। यदि आदेश के अनुपालन में वृहद् कार्य/व्यापकता शामिल हो तो कारणों को लिखित रूप में अंकित करते हुए 30 दिन की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(9) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा आवेदक आदेश का पालन तत्परता से तथा आदेश में निर्दिष्ट समय–सीमा के अन्दर करेंगे, तथा आदेश के कार्यान्वयन के 7 दिन के अन्दर फोरम को अनुपालन की रिपोर्ट देंगे।

(10) यदि अनुपालन में फोरम द्वारा अपने आदेश में निश्चित की गई समय–सीमा से अधिक देरी होती है तो आवेदक या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति हो, अनुपालन के लिए निश्चित की गई तिथि से 7 दिन के अन्दर अपनी ओर से होने वाली देरी के कारणों के बारे में लिखित पत्र जमा करेंगे तथा एक सम्भावित तिथि बताएँगे, जिस तिथि तक अनुपालन कर लिया जाएगा।

(11) यदि फोरम उचित समझे तो अपने आदेश के कार्यान्वयन में या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन आख्या जमा किए जाने में हुई देरी के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है।

(12) किसी भी पक्ष द्वारा फोरम के आदेश का अनुपालन न किया जाना इन विनियमों का उल्लंघन होगा तथा उस पक्ष पर विद्युत अधिनियम, 2003 को धारा 142 तथा 146 के साथ पठित धारा 149 के अन्तर्गत उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(13) फोरम द्वारा जारी सभी आदेश वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रसारित किए जाएँगे, जो इन आदेशों के प्राप्त होने पर इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

3.4 आयोग को रिपोर्टें प्रस्तुत करना

(1) फोरम प्रत्येक त्रैमास के पूरा होने के 15 दिन के अन्दर, फोरम में प्राप्त हुई, निस्तारित की गई तथा शेष बची हुई शिकायतों की संख्या की त्रैमासिक आख्या आयोग के पास जमा करेगा, साथ ही, निस्तारित न हो पाई शिकायतों के लिए कारण भी बताएगा।

(2) फोरम प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपने कार्यालयों की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की गतिविधियों की सामान्य समीक्षात्मक आख्या भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा, तथा ऐसी सूचनाएँ भी प्रस्तुत करेगा, जिसकी आयोग को आवश्यकता हो।

3.5 अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति

(1) व्यथित व्यक्ति तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, शिकायतों के सम्बन्ध में फोरम द्वारा दिए गए आदेशों, निर्णयों, निर्देशों तथा इनके समर्थन में दिए गए कारणों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति शुल्क का भुगतान करके, तथा फोरम द्वारा निर्देशित अन्य शर्तों का पालन करके फोरम के अभिलेखों या आदेशों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

3.6 लोकपाल के समक्ष अपील

कोई भी उपभोक्ता, जो फोरम के आदेश से संतुष्ट न हो, या निर्धारित समय–सीमा के अन्दर फोरम द्वारा अपनी शिकायत का निवारण न किए जाने से पीड़ित हो, वह आयोग द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त लोकपाल के समक्ष, आयोग के विनियमों में दिए गए तरीके व विधि से, अपील कर सकता है।

3.7 आयोग की अधीक्षण की शक्तियाँ

(1) आयोग के पास फोरम का अधीक्षण करने व उस पर नियंत्रण रखने की सामान्य शक्तियाँ होंगी, तथा इसके लिए वह फोरम/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से कोई भी अभिलेख माँग सकता है व उस पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है। फोरम/वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा समय–समय पर जारी इन निर्देशों का विधिवत् अनुपालन करेंगे।

(2) इन विनियमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयोग समय–समय पर आदेश जारी कर कर सकता है तथा कार्यान्वयन पद्धति के संबंध में निर्देश दे सकता है।

अध्याय 4

सामान्य

4.1 व्यावृत्ति

इस विनियम की कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) तथा इसमें समय–समय पर हुए संशोधन भी शामिल हैं, के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेषधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

4.2 कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

यदि इस विनियम के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग अपने साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा, वितरण अनुज्ञापीधारियों, मंच को उचित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है जो विद्युत अधिनियम, 2003 से असंगत न हों और आयोग को कठिनाइयाँ दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक अथवा समीचीन लगती हो।

4.3 संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियम के किसी भी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन, संशोधन या रूपान्तरण कर सकता है।

आयोग की आज्ञा से,

नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

कार्यालय–अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण पत्र

01 जुलाई, 2019 ई0

पत्रांक–वाकअधि0/कार्यभार/व्य0प0/74(14)/197(II)/2019–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना सं0 178/UHC/Admin.A/2019, दिनांक 26.06.2019 के द्वारा मेरा स्थानान्तरण एवं तैनाती जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल के पद पर होने के फलस्वरूप मेरे द्वारा 'अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार का आज दिनांक 29.06.2019 की अपरान्ह में छोड़ा गया।

राजीव कुमार खुल्बे,
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील, अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 (अस्पष्ट)
सचिव (वित्त),
उत्तराखण्ड शासन,
राज्य सचिवालय, देहरादून।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

आदेश

11 जून, 2019 ई0

पत्रांक 308/लाइसेंस/निलम्बन–निरस्त/2019–पुलिस विभाग, थाना कोतवाली, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के उ0नि0 श्री राजेन्द्र पन्त की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.04.2019 को वाहन बुलेट, बिना नम्बर, चालक श्री पवन चन्द द्वारा अत्यधिक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए एक अन्य मो0सा0 में टक्कर मार दी गई, जिससे मो0सा0 चालक की मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना हाजा पर मु0एफ0आई0आर0 संख्या 89/2019 U/S 279/338/304A IPC पंजीकृत किया गया तथा श्री पवन चन्द चालक के लाइसेंस की मूल प्रति को निरस्त करने की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। श्री पवन चन्द पुत्र श्री खड़क चन्द, निवासी ग्राम भूड मोहलिया, तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर का चालक लाइसेंस संख्या UK0320110006063, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 09.06.2011 को मोटर साइकिल एवं मोटर कार (नॉन ट्रांसपोर्ट) श्रेणी हेतु जारी किया गया है, जो दिनांक 08.06.2031 तक वैध है। चालक लाइसेंस संख्या UK0320110006063, धारक श्री पवन चन्द को जारी नोटिस के क्रम में उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण व जनसुरक्षा के दृष्टिगत एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, मैं, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, पूजा नयाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चालक लाइसेंस संख्या UK0320110006063 के धारक को उक्त एफ0आई0आर0 पर अन्तिम रिपोर्ट जारी होने की तिथि तक अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निर्णीत किए जाने तक अनर्ह (Disqualify) करती हूँ।

आदेश

11 जून, 2019 ई0

पत्रांक 889/लाइसेंस/निलम्बन–निरस्त/2019–माननीय न्यायालय एम0ए0सी0टी0/प्रथम जिला न्यायाधीश, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में दायर वाद एम0ए0सी0पी0 संख्या 336/2015 श्रीमती शकुन्तला आदि बनाम राजीव कुमार आदि में दिनांक 18.04.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:–

"याचीगण की याचिका सव्यय खारिज की जाती है। विपक्षी संख्या 2 वाहन चालक विजय कुमार की चालक अनुज्ञप्ति निरस्त किए जाने की संस्तुति सहित इस निर्णय की प्रति संबंधित आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।"

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.07.2003 को श्री विजय कुमार पुत्र श्री मुखराम सिंह, निवासी नई बस्ती, कटोराताल, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को जारी चालक अनुज्ञप्ति संख्या 15228/NT/USN/03 (ऑन लाइन चालक अनुज्ञप्ति संख्या UK0620030015228) जो कि मोटर साइकिल एवं मोटर कार (नॉन ट्रांसपोर्ट) कैटेगरी हेतु जारी किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, निरस्तीकरण का पृष्ठांकन संबंधित चालक लाइसेंस के अभिलेखों में दर्ज किया जाता है।

लाइसेंसिंग आथोरिटी

मोटरयान विभाग,

ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

04 जून, 2019 ई0

पत्रांक 870 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / UP01-5771 / 2019–वाहन संख्या UP01-5771 (TRUCK), मॉडल 2000, चेसिस संख्या NCWEL4GM0047082 तथा इंजन नं0 SLCCN39867, कार्यालय में श्री नवीन पुत्र श्री गेदन लाल, निवासी पुरानी सुनरी, वार्ड नं0–5, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP01-5771 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या NCWEL4GM0047082 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

11 जून, 2019 ई0

पत्रांक 888 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / UK06CB-5254 / 2019–वाहन संख्या UK06CB-5254 (TRUCK), मॉडल 2004, चेसिस संख्या 426021JVZ739633 तथा इंजन संख्या 40J62354876, कार्यालय में श्री ओमपाल घेरा पुत्र श्री लक्षमण दास घेरा, निवासी 166, वार्ड नं0–7, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CB-5254 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426021JVZ739633 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

12 जून, 2019 ई0

पत्रांक 901 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / UA06-6321 / 2019–वाहन संख्या UA06-6321 (TRUCK), मॉडल 1990, चेसिस संख्या 364052840297 तथा इंजन संख्या 6971102850627, कार्यालय में श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री सुपर, निवासी ग्राम सिमला पिस्तौर, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06-6321 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052840297 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

15 जून, 2019 ई0

पत्रांक 933/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06G-7923/2019–वाहन संख्या UA06G-7923 (TRUCK), मॉडल 2003, चेसिस संख्या 426010CWZ106425 तथा इंजन संख्या 30B62260577, कार्यालय में श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री गुरदत्त सिंह, निवासी ग्राम वण्डिया, तह0 किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06G-7923 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426010CWZ106425 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

27 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1015/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06PA-0737/2019–वाहन संख्या UK06PA-0737 (BUS), मॉडल 2000, चेसिस संख्या M0050724 तथा इंजन संख्या 43473, कार्यालय में एमेनिटी पब्लिक स्कूल, 06 कि0मी0 माईल स्टोन, काशीपुर रोड, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06PA-0737 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या M0050724 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

27 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1016/टी0आर0/पंजी0नि0/UP04A-0434/2019–वाहन संख्या UP04A-0434 (TRUCK), मॉडल 1995, चेसिस संख्या 386045JUQ829868 तथा इंजन संख्या 457U219UQ781762, कार्यालय में श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी सिविल लाइन, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP04A-0434 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386045JUQ829868 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

27 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1017/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-0720/2019–वाहन संख्या UK06CB-0720 (TRUCK), मॉडल 2001, चेसिस संख्या 357124GYZ810820 तथा इंजन संख्या 497SPTC31GYZ880633, कार्यालय में श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री विजय कुमार गुप्ता, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CB-0720 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357124GYZ810820 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

28 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1028/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-8932/2019–वाहन संख्या UK06CA-8932 (TRUCK), मॉडल 2004, चेसिस संख्या TWE526604 तथा इंजन संख्या TWE392445, कार्यालय में श्री पूरन सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह, निवासी म0 नं0 38, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CA-8932 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या TWE526604 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

28 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1029/टी0आर0/पंजी0नि0/CG04E-2935/2019–वाहन संख्या CG04E-2935 (BUS), मॉडल 2002, चेसिस संख्या 18FF20985260 तथा इंजन संख्या E483A20980026, कार्यालय में एमेनिटी पब्लिक स्कूल, 06 कि0मी0 माईल स्टोन, काशीपुर रोड, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या CG04E-2935 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 18FF20985260 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

28 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1032/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06PA-1126/2019–वाहन संख्या UK06PA-1126 (BUS), मॉडल 2000, चेसिस संख्या 412060EZZ710365 तथा इंजन संख्या B5912500D62144559, कार्यालय में मैसर्स हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल, नैनीताल रोड, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06PA-1126 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 412060EZZ710365 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

आदेश

25 जून, 2019 ई0

संख्या–231/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, ढंडेरा, पो0 खास, हरिद्वार	UK-0820010112736, VALIDITY (NT)-14.03.2021, VALIDITY (T) 16.08.2016	ओवर लोड सवारी (भार वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	25.06.2019 से 24.09.2019

1	2	3	4	5	6
2.	श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बेंत सिंह, ग्राम बेहलुवाल बटाला, गुरदासपुर, पँजाब, पिन–143505	PB-0620100023947, VALIDITY (NT)-01.05.2033, VALIDITY (T) 06.05.2022	ओवर स्पीड व खतरनाक संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	25.06.2019 से 24.09.2019
3.	श्री हरीश लाल पुत्र श्री जसपाल लाल, मकान सं0–102, ग्राम फेगू, थाना–भीरी, जनपद रुद्रप्रयाग	UK-13201500008256, VALIDITY (NT)-04.07.2031	शटल सेवा में नियमों का उल्लंघन	ARTO, RUDRAPRAYAG	25.06.2019 से 24.09.2019

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/300–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2019 ई0 (श्रावण 05, 1941 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला पंचायत, अल्मोड़ा

19 मार्च, 2019 ई0

संख्या 520/933/जि0पं0अ0को0/2018–19–जिला पंचायत, अल्मोड़ा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, अल्मोड़ा द्वारा पूर्व में प्रकाशित लाइसेंस शुल्क की वर्तमान दरों में संशोधन एवं नये व्यवसाय जोड़े जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत की बैठक दिनांक 24/25 जुलाई, 2018 में सर्वसम्मति से पारित हुआ है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा–106 के साथ गठित धारा–123 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यों तथा पेय पदार्थों के तैयार करने या विक्रय तथा दुकानों को नियमित तथा विनियमित करने हेतु बनाये गए उपनियमों, जिसका प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति सं0 169/21–10 92–93, दि0 08 अप्रैल, 1997 एवं दिनांक 23 नवम्बर, 2013 में हुआ है, निम्न संशोधन एवं नये व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता हैं।

उपविधियाँ

1. कोई भी व्यक्ति फर्म तथा समिति जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय दुकान, भण्डारण तथा आय अर्जित तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक उसके द्वारा जिला पंचायत से निर्धारित शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।
2. खाद्य पदार्थ बनाने हेतु किसी ऐसे धातु के बर्तनों का प्रयोग वर्जित होगा, जिससे खाद्य पदार्थ के विकृत होने या दूषित होने की सम्भावना हो या जिन पर रखा गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

3. खाद्य पदार्थ को इस प्रकार ढक कर रखा जावेगा ताकि उस पर धूल, मक्खियाँ या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य कीटाणु न बैठ सकें।

4. प्रत्येक व्यवसाई को अपनी दुकान पर, ऐसे स्थान पर, जो सुगमता से दिखाई दे सके, एक साइन बोर्ड लगाना होगा, जिस पर लाइसेन्सधारी का नाम व व्यवसाय का नाम स्पष्ट देवनागरी लिपि में लिखा होगा।

5. इस उपविधियों के अधीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत या उसके द्वारा अधिकृत किए जाने पर कार्यधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को इन उपविधियों के अधीन निर्गत किसी लाइसेन्सधारी के द्वारा उपविधियों के उल्लंघन करने पर लाइसेन्स को रद्द करने का अधिकार होगा किन्तु लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स रद्द किए जाने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील कर सकेगा। अध्यक्ष का निर्णय ,अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

7. पंचायत तथा राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी, दुकान पर बिक्री हेतु रखी गई सामग्री के निरीक्षण करने के अधिकृत होंगे तथा जनस्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सामग्री को नष्ट कर सकेंगे:—

(क) अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं पंचायत का कोई भी सदस्य, जिसको अध्यक्ष द्वारा तदर्थ अधिकृत किया गया है।

(ख) मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कार्यधिकारी, कर अधिकारी।

(ग) जिले में कार्यरत मुख्य चिकित्साधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षण से कम दर्जे का न हो।

8. प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि 01 वर्ष की होगी, जो पहली अप्रैल से आवर्ती वर्ष 31 मार्च तक होगी। लाइसेन्सधरी की स्वंय का दायित्व होगा कि वह 30 जून तक लाइसेन्स का नवीनीकरण करवा ले अन्यथा 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क उक्त तिथि के बाद लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त लिया जायेगा।

9. इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से ठीक पूर्व व्यवसाय करने वाले व्यक्ति, फर्म अथवा समिति को उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर लाइसेन्स प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

10. इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी:—

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	नई दरें
1	2	3	4
1.	हॉट मिक्स प्लान्ट स्टोन का लाइसेन्स शुल्क	नया	10,000.00
2.	क्रैसर खनन का लाइ0 शुल्क	नया	10,000.00
3.	नदियों से खनन में लाइसेन्स शुल्क	नया	5,000.00
4.	पतंजली व्यवसाय का लाइसेन्स शुल्क	नया	1,000.00
5.	होटल/रेस्टोरेन्ट व्यवसाय, जहाँ केवल भोजन की व्यवस्था है	300.00	500.00
6.	होटल व्यवसाय, जहाँ केवल भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो, पाँच कक्षों तक	700.00	1,000.00
7.	होटल व्यवसाय, जहाँ केवल भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो, पाँच कक्षों से नौ कक्षों तक	2,000.00	3,000.00
8.	होटल व्यवसाय, जहाँ केवल भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो, दस कक्षों से पन्द्रह कक्षों तक	3,000.00	7,000.00
9.	होटल व्यवसाय, जहाँ भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो, पन्द्रह कक्षों से बीस कक्षों तक	10,000.00	15,000.00

1	2	3	4
10.	होटल व्यवसाय, जहाँ भोजन व ठहरने की व्यवस्था हो, बीस कक्षों से अधिक	15,000.00	18,000.00
11.	नमकीन उद्योग/मसाला उद्योग	नया	500.00
12.	लघु उद्योग	नया	1,000.00
13.	एडवेंचर कैम्प	नया	1,000.00
14.	सौर ऊर्जा व्यवसाय	नया	1,000.00
15.	सॉफ्टी व्यवसाय	नया	200.00
16.	रजाई गद्दे की दुकान	नया	1,000.00
17.	टायर ट्यूब्स थोक विक्रेता	नया	1,000.00
18.	साइबर कैफे	नया	500.00
19.	वि ाता बड़ी	नया	500.00
20.	वि ाता छोटी	नया	200.00
21.	अलमारी बक्सा बनाने की दुकान	नया	1,000.00
22.	मिठाई की समस्त दुकान	नया	500.00
23.	बारबर की दुकान	100.00	300.00
24.	चाय की दुकान	100.00	200.00
25.	लोहार की दुकान	100.00	200.00
26.	सब्जी की दुकान	100.00	200.00
27.	फोटो स्टूडियो	100.00	200.00
28.	धर्म कॉटा	नया	2,000.00
29.	पन चक्की	नया	500.00
30.	गिफ्ट सेन्टर/कास्मेटिक सेन्टर	नया	500.00
31.	कन्सलटेन्सी	नया	1,000.00
32.	ठेला व्यवसाय	नया	1,000.00
33.	आइसक्रीम कार्नर	नया	1,000.00
34.	सेनिट्रिक/हार्डवेयर	नया	1,000.00
35.	टूर ट्रवेल्स	नया	1,000.00
36.	प्राइवेट स्कूल	नया	5,000.00
37.	प्लाईवुड	नया	1,000.00
38.	दन/कालीन बनाने वाले	नया	500.00
39.	जनरल सप्लायर (आर्डर पर सामान सप्लाई/स्टेशनरी)	नया	1,500.00
40.	कैफे	नया	1,000.00
41.	फास्टफूड/ठेला व्यवसाय/फड़ व्यवसाय	नया	400.00
42.	होमस्टे/पेईंग गेस्ट/लॉज एवं होटल, 05 कक्षों तक	700.00	1,500.00
43.	होटल 20 कक्षों तक	15,000	15,000.00
44.	मोबाइल रिचॉर्ज	नया	400.00
45.	मो0 रिपेयरिंग	नया	600.00
46.	मोबाइल बिक्री	500.00	1,000.00
47.	बढ़ई/आरा मशीन दुकान	नया	1,000.00
48.	लघु उद्योग जैसे डाले, सूपे, चटाई, शौल, कुदाल, साबुन आदि निर्माण	नया	1,000.00

1	2	3	4
49.	विक्रेता साफ्टी	नया	250.00
50.	मैकेनिक	नया	500.00
51.	टेलीफोन टॉवर बी0 एस0 एन0 एल0 एवं समस्त प्राइवेट	1,000.00	5,000.00
52.	कास्मेटिक	नया	500.00
53.	चूड़ी	नया	300.00
54.	अलमारी/बॉक्स विक्रेता	नया	1,000.00
55.	मिठाई + रेस्टोरेन्ट	नया	750.00
56.	फल, सब्जी	100.00	300.00
57.	फोटो स्टूडियो	100.00	300.00
58.	फोटो स्टूडियो, विडियोग्राफी	नया	500.00
59.	क्रॉकरी (काँच एवं प्लास्टिक)	नया	300.00
60.	आयकर/सेवाकर पासपोर्ट	नया	300.00
61.	ताँबा बर्तन निर्माण, बिक्री	नया	1,000.00
62.	ताँबे के बर्तन बिक्री केवल	नया	500.00
63.	पेन्ट, चूना	200.00	500.00
64.	प्राइवेट स्कूल कक्षा 8 तक	नया	500.00
65.	प्राइवेट स्कूल हाईस्कूल तक	नया	1,000.00
66.	शीशा, प्लाईवुड आदि	नया	1,000.00
67.	हैन्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट, हिमादी शोरूम	नया	1,000.00
68.	घड़ी साज	100.00	200.00
69.	कृषि उपकरण एवं सामाग्री	नया	200.00
70.	साइकिल मरम्मत	नया	200.00
71.	टाफी, बिस्कुट, नमकीन की दुकान, पानी बोतल, कोल्ड्रींक	नया	200.00
72.	गुटका, सिगरेट, पान, तम्बाकू की दुकान	नया	200.00
73.	बर्तन	200.00	400.00
74.	बिजली मैकेनिक	नया	300.00
75.	बिजली का सामान बिक्रेता	नया	500.00
76.	बिजली मरम्मत एवं बिक्रेता	नया	600.00
77.	टेलीविजन, फ्रिज रिपेयरिंग/बिक्री	नया	500.00
78.	मोटर साइकिल मरम्मत	100.00	200.00
79.	मांस बिक्रेता (मुर्गा, मछली, बकरा), प्रत्येक दुकान पर पृथक्–पृथक्	300.00	500.00
80.	टेलरिंग व्यवसाय, 2 मशीनों तक	150.00	300.00
81.	टेलरिंग व्यवसाय, 3 मशीनों तक	300.00	400.00
82.	टेलरिंग व्यवसाय, 3 मशीनों से अधिक	500.00	600.00
83.	हकीम, वैद्य, मेडिकल प्रैक्टिशनर	400.00	600.00
84.	सोना–चाँदी के आभूषण	500.00	600.00
85.	मोटर मैकेनिक	200.00	400.00
86.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (सूती, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र)	नया	300.00
87.	सा0 मिश्रित	500.00	600.00

1	2	3	4
88.	पुस्तक, कॉपी की दुकान	300.00	500.00
89.	कपड़े रेडिमेड की दुकान	300.00	500.00
90.	बिस्कुट बेकरी	400.00	500.00
91.	ईमारती सामान, बजरी, सेनेट्री	1,000.00	2,000.00
92.	टेलिविजन, फ्रीज बिक्रेता एवं मरम्मत	600.00	1,000.00
93.	पीतल तांबा आदि धातुओं से निर्मित सामान	400.00	600.00
94.	फोटो स्टेट	300.00	400.00
95.	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	300.00	300.00
96.	फेरी व्यवसाय	1,000.00	1,000.00
97.	डिस्-एनटिना, केबिल ऑपरेटर	1,000.00	1,000.00
98.	प्रिंटिंग प्रेस	1,000.00	1,000.00
99.	जूस फैक्ट्री	1,000.00	1,000.00
100.	थोक बिक्रेता कमिशन एजेन्ट	600.00	800.00
101.	लोहे, सीमेन्ट की सम्मिलित दुकान	1,500.00	1,600.00
102.	ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय	1,200.00	1,300.00
103.	ब्रास फैक्ट्री	1,700.00	1,700.00
104.	स्टोन क्रेशर	2,200.00	2,200.00
105.	पेट्रोल पम्प/डीजल	2,200.00	2,300.00
106.	ड्रग्स फैक्ट्री	7,000.00	8,000.00
107.	लीसा फैक्ट्री/वानिस	7,000.00	8,000.00
108.	लीसा फैक्ट्री विरोजा	12,000.00	12,000.00
109.	रिसोर्ट	15,000.00	15,000.00
110.	सीमेन्ट ब्लॉक एवं टाइल्स व्यवसाय	1,500.00	1,500.00
111.	खड़िया, पत्थर निकालने पर	15,000.00	15,000.00
112.	शराब की दुकान, देसी-विदेशी प्रत्येक व्यवसाय पर	25,000.00	25,000.00
113.	दुग्ध डेरी व्यवसाय	500.00	700.00
114.	टैण्ट हाऊस एवं कैटरिंग	500.00	700.00
115.	बैण्ड बाजा	500.00	800.00
116.	डीजे, बिस्तर, जनरेटर किराये पर देने वाली दुकान	600.00	700.00
117.	डीजे साउण्ड सर्विस दुकान, जो किराये पर देता है	500.00	600.00
118.	ग्रील कट्टा	500.00	600.00
119.	एस0टी0डी0	200.00	200.00
120.	ब्यूटी पार्लर	500.00	600.00
121.	पाइप सर्किट यूनियन लघु उद्योग	1,000.00	1,000.00
122.	फास्ट फूड	200.00	300.00
123.	वुड क्राफ्ट एवं वुड वाफ्ट	नया	2,000.00
124.	प्राइवेट नर्सरी	नया	700.00
125.	लॉन्ड्री	नया	500.00
126.	विलियर्ड, स्नूकर	नया	1,000.00

1	2	3	4
127.	पॉली हाऊस/कोरियर	नया	500.00
128.	पशुपालन से सम्बन्धित व्यवसाय जैसे मुर्गी पालन, मत्स पालन, बकरी/भेड़ पालन आदि एवं दुग्ध डेरी आदि अलग–अलग	500.00	1,000.00
129.	उपविधियों में अंकित व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	नया	
130.	छोटे व्यवसाय	नया	2,500.00
131.	बड़े व्यवसाय	नया	5,000.00
132.	मिश्रित व्यवसाय	नया	10,000.00
133.	जूता–चप्पल	200.00	500.00
134.	मेडिकल स्टोर	400.00	500.00
135.	डेन्टिस्ट	नया	2,000.00
136.	कार शोरुम	नया	6,000.00
137.	दो पहिया वाहन शोरुम	नया	1,000.00
138.	आटा/तेल/चावल चक्की प्रत्येक का अलग–अलग	500.00	500.00
139.	फायर मशीन, रिफिलिंग सामग्री	नया	1,000.00
140.	मदिरा बार	1,000.00	1,100.00
141.	पेन्टर कार्य	200.00	200.00
142.	पेन्टिंग कार्य	500.00	500.00
143.	कार वर्कशॉप	500.00	600.00
144.	शैक्षिक कोचिंग सेन्टर	500.00	500.00
145.	भूमि अथवा नदी–नालों के किनारे से खनिज वस्तु निकालने एवं बेचने पर	1,000.00	1,000.00
146.	कुमायूँ मण्डल विकास निगम के प्रति विश्रामालय पर	2,000.00	2,000.00
147.	स्पोर्ट्स का सामान	500.00	500.00
148.	कम्प्यूटर एवं कम्पयूटर का सामान बिक्री/मरम्मत की दुकान	500.00	500.00
149.	कम्प्यूटर जॉब वर्क	500.00	500.00
150.	इलेक्ट्रानिक्स गुड्स फैक्ट्री	2,200.00	2,200.00
151.	ईंट के थोक बिक्रेता	नया	1,500.00
152.	नर्सिंग होम/प्राइवेट अस्पताल	5,000.00	6,000.00

दण्ड

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत अल्मोड़ा यह आदेश देता है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर दोष सिद्ध होने पर ₹ 5,000/– तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन जारी रहा है ₹ 50/– प्रतिदन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

ठेकेदारी उपविधि

22 फरवरी, 2019 ई0

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 एवं संख्या 1971/इक्कीस–8/2012–13–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा (239) (2) (घ) के अधीन जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जिला पंचायत, अल्मोड़ा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का ठेका लेने वाले ठेकेदारों पर जिला पंचायत ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क हेतु बनाये गये उपनियमों में पूर्ण में शासकीय गजट में प्रकाशित हुए थे, में निम्न संशोधन किए जाते हैं। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

कोई भी फर्म तथा समिति जनपद अल्मोड़ा में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी तब नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसने जिला पंचायत से निर्धारित शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।

इन उपविधियों के अधीन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत या उसके द्वारा अधिकृत किए जाने पर कार्य अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अल्मोड़ा को इन उपविधियों के अधीन निर्गत किसी भी लाइसेंसधारी के द्वारा उपविधियों का उललंघन करने पर, रद्द करने का अधिकार होगा किन्तु लाइसेन्सधारी लाइसेन्स रद्द किए जाने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील कर सकेगा। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि 01 वर्ष की होगी, जो 01 अप्रैल से आवर्ती वर्ष 31 मार्च तक होगी। इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगीः–

संशोधित उपविधि

क्र0 सं0	ठेकेदार की श्रेणी	लाइसेन्स की वर्तमान दर	लाइसेन्स की नई दर	अभियुक्ति
1.	अ 1	1000	2500	₹ 5 लाख से अधिक के कार्यों के लिए
2.	अ 2	1000	1500	5 लाख तक के कार्यों के लिए
3.	ब	500	1000	50,000 तक के कार्यों के लिए
4.	प्रपत्र की दर	50	100	

जितेन्द्र वर्मा,
कार्य अधिकारी,
जिला पंचायत, अल्मोड़ा।

एम0 एल0 टम्टा,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, अल्मोड़ा।

पार्वती महरा,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, अल्मोड़ा।

हरिचन्द्र सेमवाल,
निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/300–भाग 3–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।